

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प-27 / 2011 /

दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-जयपुर / अजमेर / जोधपुर / उदयपुर /
कोटा / बीकानेर / भरतपुर।

विषय : लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना भिजवाने बाबत।

----- :: ----- :: -----

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि आपके परिक्षेत्र में दिनांक 31.05.11 तक कितने राजपत्रित अधिकारियों के पेंशन प्रकरण लम्बित चल रहें हैं की सूची चिकित्सकों के नाम, पदनाम एवं सेवानिवृत्ति की तिथि से लौटती डाक से भिजवावें एवं जिन राजपत्रित अधिकारियों को किन्हीं कारणों से प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृत हुई है दिनांक 31.05.11 तक की सूची अलग से भिजवावें तथा इसी प्रकार लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना प्रत्येक माह की, हर माह की 05 तारीख से पूर्व आप अपने स्तर से अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।

पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प-27 / 2011 / 484

दिनांक : 15/6/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. डीलिंग सहायक, मुख्यालय सीट, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि आपसे संबंधित डीलिंग सीट से उक्त सूचना की सूची तैयार कर अधो-हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र ही प्रेषित करें।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।